भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3263
दिनांक 12 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

3263. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा आधारभूत अवसंरचना सीधे तौर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के निगरानी के अधिदेश के अंतर्गत आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देश भर में संकटग्रस्त जिलों को चिन्हित किया है और यदि हां, तो उन जिलों का ब्यौरा क्या है और ऐसे जिलों को चिन्हित करने के लिए राज्य-वार क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
(ग) क्या एनसीपीसीआर ने संकटग्रस्त बच्चों और आकांक्षी जिलों में आवश्यक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आधारभूत अवसंरचना से वंचित बच्चों तक पहुंचने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है; और
(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश भर में बच्चों द्वारा सामना किए जा रहे अन्यायों के समाधान हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसके अंतर्गत कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.) : मंत्रालय ने बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है जो जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है, जिसके तहत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की

जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग निम्नलिखित से संबंधित शिकायतों की जांच कर सकता है तथा स्वप्रेरणा से नोटिस ले सकता है :

I. बच्चों के अधिकारों का अपवंचन एवं उल्लंघन;
II. बच्चों के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों का गैर-कार्यान्वयन;
III. बच्चों की कठिनाइयों का उपशमन करने तथा उनके कल्याण का सुनिश्चय करने वाले और ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करने वाले नीतिगत निर्णयों, दिशा-निर्देशों या अनुदेशों का गैर अनुपालन;

या सक्षम प्राधिकारियों के साथ ऐसे मामलों से उत्पन्न मुद्दों को उठाना।

मंत्रालय द्वारा बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा एवं कल्याण का सुनिश्चय करने के लिए विभिन्न बाल केंद्रित अधिनियम बनाए गए हैं जैसे कि यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 आदि। इसके अलावा मंत्रालय एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "बाल संरक्षण सेवा" (सीपीएस) (तत्कालीन समेकित बाल संरक्षण स्कीम) चला रहा है और अन्य बातों के साथ कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करने, विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जेजे अधिनियम के तहत बनाई गई किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियमावली 2016 अन्य बातों के साथ भौतिक अवसंरचना, वस्त्र, बिस्तर, पोषण एवं आहार तथा पुनर्वास के उपायों जैसे कि शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि के लिए मानक निर्दिष्ट करती है।

*****